भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1604
09 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय- बागवानी और मत्स्य पालन के लिए योजनाएं

1604. श्री अरुण कुमार सागरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक देश में राज्यवार सरकार द्वारा बागवानी, फल, वृक्षारोपण एवं मत्स्य पालन के लिए कार्यान्वित योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या अन्य अनुसंधान संस्थानों द्वारा कोई नई प्रौद्योगिकी विकसित की गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में जानकारी प्रदान करने एवं संबंधित व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो देश में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इसमें फल, सब्ज़ियाँ, कंद-मूल वाली फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित और औषधीय पौधे, नारियल, काजू, कोको और बांस शामिल हैं। सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र एमआईडीएच के अंतर्गत आते हैं।

सरकार ने देश में मात्स्यिकी और जलीय कृषि के समग्र विकास और मछुआरों के कल्याण के लिए आत्मनिर्भर भारत के एक भाग के रूप में भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास (पीएमएमएसवाई) के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नामतः एक केंद्र प्रायोजित योजना भी शुरू की है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एमआईडीएच और पीएमएमएसवाई के अंतर्गत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का राज्यवार विवरण अनुबंध पर दिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के बागवानी विज्ञान प्रभाग के अंतर्गत अनुसंधान संस्थानों द्वारा कई नई तकनीकों का विकास और व्यावसायीकरण किया गया है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान उत्पादन, फसल सुरक्षा, जैव-सूत्रीकरण, फसलोपरांत प्रबंधन और मूल्य-संवर्धन से संबंधित कुल 788 उन्नत तकनीकों का मानकीकरण/प्रमाणन किया गया। 1,232 लाइसेंसधारियों सहित कुल 345 तकनीकों का व्यावसायीकरण किया गया। बागवानी संस्थानों द्वारा कुल 35 पेटेंट और 121 कॉपीराइट भी प्राप्त किए गए।

उपरोक्त के अलावा, मात्स्यिकी क्षेत्र के अंतर्गत अनुसंधान संस्थानों द्वारा निम्नलिखित प्रौद्योगिकियां भी विकसित की गई हैं:

- 15 खाद्य मछलियों और 19 सजावटी मछलियों के लिए कैप्टीव ब्रीडिंग और बीज उत्पादन प्रौद्योगिकियां
- 120 दिनों की अवधि में 30-45 टन/हेक्टेयर/फसल उत्पादन के साथ अति-गहन परिशुद्धता झींगा पालन प्रणाली (तीन उद्यमियों के लिए व्यावसायीकरण)
- आनुवंशिक रूप से उन्नत मछली प्रजातियों को उच्च वृद्धि के साथ विकसित किया गया, जो इस प्रकार हैं:
  - रोहू (जयंती रोहू): 14वीं पीढ़ी के बाद 60% से अधिक वृद्धि
  - कतला (अमृत कतला): तीसरी पीढ़ी के बाद 35% से अधिक वृद्धि
  - मागुर (महामागुर): तीसरी पीढ़ी के बाद 25% से अधिक वृद्धि
  - ताजे पानी के झींगे (जीआई स्कैम्पी): 15वीं पीढ़ी के बाद 55% से अधिक वृद्धि
- विविध जलीय कृषि प्रजातियों (खाद्य मछली और सजावटी मछली) के विभिन्न जीवन चरणों (ब्रूडस्टॉक, लार्वा और ग्रोअर) के लिए 20 से अधिक स्वदेशी मछली आहार सूत्रीकरण
- प्रमुख जीवाणु और विषाणु रोगजनकों के लिए निदान किट विकसित की गईं, और प्रभावी मछली स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए लगभग 15 टीके और चिकित्सीय सूत्रीकरण
- राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम ने अखिल भारतीय स्तर पर 3200 से अधिक मछली रोगों की घटनाओं की सूचना दी, और नौ नए मछली रोगों की खोज की
- विज्ञान के लिए लगभग 40 नई मछली प्रजातियों की खोज और उनका वर्णन किया गया
- भारतीय जल में समुद्री मछली भंडार का आकलन किया, और पाया कि 135 भंडारों में से 91.1% "स्वस्थ" हैं
- ईंधन कुशल ट्रॉल तकनीक (वीएस ओटर बोर्ड) और एकीकृत बायकैच रिडक्शन डिवाइस डिज़ाइन किया
- 4 न्यूट्रास्युटिकल्स और 50 पूरक पदार्थों का विकास और व्यावसायीकरण किया, जिनमें मूल्यवर्धित उत्पाद और वेस्ट टू वेल्थ बाई-प्रोड्क्टस शामिल हैं

(ड.) उत्पादन, फसल सुरक्षा और कटाई-पश्चात प्रबंधन पर किस्मों और संबंधित पद्धतियों के प्रचार हेतु, कुल 6,091 प्रशिक्षण और 11,441 प्रौद्योगिकियों क्षेत्रीय प्रदर्शन आयोजित किए गए, जिससे 2,50,000 से अधिक युवा, किसान, उद्यमी और अन्य हितधारक लाभान्वित हुए तथा मत्स्य पालन और जलीय कृषि में मानव संसाधन विकास के लिए, मछुआरों/मत्स्यपालकों/राज्य सरकार के अधिकारियों/उद्यमियों के लिए विभिन्न पहलुओं पर कौशल विकास/क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से चलाए जा रहे हैं। प्रतिवर्ष औसतन 17,000 से 20,000 हितधारक प्रशिक्षित किए जा रहे हैं।

अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान एमआईडीएच और पीएमएमएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि (भारत सरकार का हिस्सा) का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एमआईडीएच			पीएमएमएसवाई		
		2022-23	2023-24	2024-25	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	210.00	300.00	300.00	405.25	892.80	386.20
2	आंध्र प्रदेश	10000.00	6390.00	6500.00	26515.00	2748.00	2457.00
3	अरुणाचल प्रदेश	1824.00	3730.00	3000.00	5801.99	2387.00	2550.10
4	असम	5400.00	6700.00	9392.18	8367.33	5479.22	6176.24
5	बिहार	2000.00	1500.00	4000.00	809.60	6294.27	1638.52
6	छत्तीसगढ	8000.00	6000.00	10000.00	9607.89	10759.49	3493.85
7	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	12885.69
8	दिल्ली	50.00	40.00	50.00	0.00	0.00	0.00
9	गोवा	240.00	230.00	400.00	568.45	337.44	273.60
10	गुजरात	8200.00	9500.00	7000.00	8533.74	2237.40	8362.62
11	हरियाणा	8000.00	7680.00	5500.00	4090.02	16084.70	1168.14
12	हिमाचल प्रदेश	3500.00	1600.00	3000.00	1424.32	1473.38	1709.55
13	जम्मू और कश्मीर	4700.00	6700.00	9099.90	2075.10	1857.90	1110.28
14	झारखंड	2100.00	1000.00	3000.00	2900.74	4256.63	385.54
15	कर्नाटक	10800.00	9193.00	11700.00	13054.31	9775.83	1614.25
16	केरल	2800.00	3038.00	4000.00	18152.32	13437.48	13335.67
17	लद्दाख	3500.00	1900.00	2500.00	442.20	867.72	294.84
18	लक्षद्वीप	40.00	40.00	40.00	648.00	546.60	148.80
19	मध्य प्रदेश	4500.00	3000.00	6000.00	5499.40	8071.77	5907.65
20	महाराष्ट्र	8400.00	8164.00	8000.00	22735.17	10401.17	3827.94
21	मणिपुर	2600.00	1580.00	3000.00	2144.39	4720.60	740.43
22	मेघालय	2000.00	2450.00	2500.00	1939.21	3154.82	476.28
23	मिजोरम	3200.00	3950.00	5316.04	1277.92	2521.95	723.87
24	नागालैंड	3000.00	3600.00	4885.49	1488.16	1991.38	4281.29
25	ओडिशा	4100.00	5513.00	4500.00	18559.00	6770.10	4012.00
26	पुदुचेरी	150.00	200.00	125.00	11614.78	1230.75	13445.35
27	पंजाब	3110.00	2986.00	4000.00	1615.54	468.17	391.99
28	राजस्थान	3900.00	2844.00	6000.00	489.12	686.34	272.06
29	सिक्किम	2250.00	3265.00	4606.29	1215.54	1621.56	339.00
30	तमिलनाडु	10250.00	12000.00	8000.00	20779.82	4377.10	7135.92
31	तेलंगाना	1900.00	944.00	2900.00	3781.26	1980.00	1075.20
32	त्रिपुरा	2100.00	1943.00	3000.00	2411.87	4639.70	4202.65
33	उत्तर प्रदेश	6000.00	6850.00	8000.00	8032.44	11894.45	2398.68
34	उत्तराखंड	3500.00	3550.00	3000.00	6181.02	3197.79	1377.54
35	पश्चिम बंगाल	2300.00	1200.00	4000.00	18230.39	2760.31	1563.98
कुल		134724.00	129680.00	157414.90	231391.29	149923.82	110162.72

****